बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला विधि शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
email: dm- siwan.bih@nic.in

आदेश

मित्तव्ययी, गुणवत्तापूर्ण एवं सर्व सुलभ शिक्षा व्यवस्था का निर्माण लोक कल्याणकारी प्रशासन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है, जबकि समाचार पत्रों, पालकों की शिकायतों तथा सामाजिक संगठनों द्वारा यह स्थापित किया गया है कि सीवान जिले के निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से शुल्क के साथ अन्य सामग्री की भी अधिक कीमत वसूली की जा रही है। इन निजी विद्यालयों के संचालकों द्वारा पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग, जूते, कॉपियां आदि अत्यधिक महंगी कीमत पर बेची जा ही हैं तथा अभिभावकों को केवल निर्धारित दुकानों से ही सामान खरीदने के लिए बाध्य है, जिससे उन्हें खुले बाजार से सस्ती चीजें खरीदने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। इस एकाधिकारी प्रवृत्ति के कारण विशेष रूप से गरीब वर्ग के पालकों पर अनुचित और भारी आर्थिक खर्च का बोझ पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस तथ्य से भी अवगत कराया गया है कि निजी विद्यालय एवं स्टेशनरी/यूनिफॉर्म विक्रेता पुस्तकों का अत्याधिक मूल्य तय करते हैं, जिससे यह स्थिति पूर्णतया शोषणकारी बन गई है।

एकाधिकार को खत्म करने तथा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं से मुझे यह समाधान हो गया है कि सीवान जिला में इस एकाधिकारी प्रवृत्ति से समाज में असंतोष तथा अशांति का कारण बन सकती है तथा लोक प्रशांति विघ्न की आशंका है, अतः इसका निवारण अत्यन्त आवश्यक है। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त प्रवृत्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए ताकि जनहित, शांति व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा–4(6) के तहत विद्यालय या विद्यालय द्वारा निर्धारित दूकान, स्थान एवं संस्था से ड्रेस, पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों का क्रय करने की अनिवार्यता पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा विद्यालय से अथवा स्थान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता रखने वाले विद्यालयों पर दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

अतः **मैं, विवेक रंजन मैत्रेय, भा0प्र0से0 जिलाधिकारी–सह–जिला दंडाधिकारी, सीवान जिला,** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्निलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

01. कोई भी विद्यालय संचालक/प्राचार्य विद्यार्थियों को विद्यालय की यूनिफार्म, जूते, टाई, पाठ्यपुस्तकें, कापियाँ अथवा अन्य स्टेशनरी सामग्री किसी एक ही दुकान या विक्रेता से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

02. सभी निजी विद्यालयों के संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने विद्यालय में संचालित प्रत्येक कक्षा हेतु अनिवार्य पुस्तकों की सूची एवं यूनिफार्म का विवरण दिनांक 15 अप्रैल 2026 के पूर्व विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए तथा विद्यालय परिसर के किसी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा दिया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

03. विद्यालय प्रशासन द्वारा यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि उसमें कम से कम तीन (03) वर्षों तक कोई परिवर्तन न हो।

इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–223 एवं बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा–7 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय द्वारा आदेशों की अवहेलना की स्थिति में विद्यालय के प्राचार्य, संचालक, प्रबंधक तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समस्त सदस्य उत्तरदायी माने जाएँगे।

यदि किसी विद्यालय संचालक द्वारा उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने की सूचना प्राप्त होती है तो इस आशय की सूचना जिला गोपनीय शाखा, सीवान के दूरभाष सं0–06154 242099/242860 अथवा ई–मेल–dm-siwan.bih@nic.in के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित विद्यालय संचालक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखा जाय सूचना उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति का नाम/पता पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही, सम्पूर्ण जिला में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में रहकर बरती गई अनियमितता की शिकायत की जाँच कर, जिला गोपनीय शाखा, सीवान को ससमय जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं दिनांक 31 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा।

ह0/–

(विवेक रंजन मैत्रेय)
जिलाधिकारी, सीवान

ज्ञाप सं0 1587 /विधि, सीवान दिनांक 2 वीं अप्रैल, 2026 ई0।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, सीवान एवं उप विकास आयुक्त, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर/महाराजगंज/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी, सीवान जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, सीवान जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब इस आदेश की प्रति को सभी विद्यालय संचालकों को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2/4/26

(विवेक रंजन मैत्रेय),
जिलाधिकारी, सीवान



Scanned with OKEN Scanner